

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरौही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 22/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरौही ।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री भवानीसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सिरौही संचालक
मैसर्स जोधपुर स्वीट होम, सिरौही ।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. श्री , सहायक लोक अभियोज अधिकारी प्रथम, सिरौही ।

निर्णय

दिनांक 21.12.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.08.2019 को जिला रसद अधिकारी सिरौही के प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक, सिरौही द्वारा अप्रार्थी के होटल पर जाँच करने पहुँचने पर होटल में 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग होटल प्रयोजनार्थ करने से उक्त तीन गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से स्वयं द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश नहीं किया गया ।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो का उपयोग वाणिज्य प्रयोजनार्थ होटल व्यवसाय में किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाय एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे ।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन करते हुए तीन गैस सिलेण्डरों को वापस दिलवाये जाने का निवेदन किया ।

मैंने दोनों पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अन्वेषण किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो का उपयोग वाणिज्य प्रयोजनार्थ होटल व्यवसाय में किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाय एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है ।

जिला कलेक्टर, सिरौही

अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, सिरौही कब्जे सरकार लिये गये उक्त तीन गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को उपभोक्ताओं को वितरण करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे एवं उक्त तीन गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित गैस कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द कर प्राप्त राशि उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही